



समूह-3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 09-04-2022	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 23-04-2022	
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 09-04-2022	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 28-04-2022	
परीक्षा दिनांक व दिन	6 जून 2022 से प्रारम्भ	
परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती/संविदा पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती - बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
06 जून 2022 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक	02:20 से 02:30 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:30 से 05:30 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर/ आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नम्बर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
13. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकार्यें विलोपित मान्य होगी।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02 फैक्स : 0755-2550498
website: www.peb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complain.peb@mp.gov.in

समूह-3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती
परीक्षा-2022 आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022	4-22
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	23-78
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	79-95
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	96
6	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	97
7	प्रारूप-2	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	98
8	प्रारूप-3	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	99

अध्याय - 01
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पञ्जीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्राफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल ;

3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना - वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. अर्हकारी अंक - (1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत

तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) बोर्ड, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स. क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-3	समूह-3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022	तृतीय श्रेणी

8. परीक्षा का आयोजन - ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा समूह-3 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् -तालिका

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
--------	------	---------------------------	---------	----------------------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह-3	01	200	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	100
				(ब) संबंधित विषय आधारित प्रश्न	100

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-3

(क) अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल /हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता (विभागो द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें) ।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि बोर्ड का।

9.3 आयु सीमा - उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्मियों को छोड़ कर) से अधिक नहीं होगी।

9.4 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

- (i) अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2022 से निर्धारित की जावेगी ।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव पत्र क्रं./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जूलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मियों को छोड़ कर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छूटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छूटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी

सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्परष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छूटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल कर सकेगा।

10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

- (1) बोर्ड एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में बोर्ड के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा बोर्ड अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।(बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों हेतु)
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक-पृथक उपस्थिति होना होगा।

11. पी.ई.बी. (मण्डल) द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/इ.डब्ल्यू.एस./महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12 . नियुक्ति के लिए पी.ई.बी. (मण्डल) की अनुशंसाएं -

- (1) पी.ई.बी. (मण्डल) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।

- (2) **पी.ई.बी. (मण्डल)**, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि बोर्ड ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा पी.ई.बी. की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिको (Demobilised Defence forces Personnel – Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास “सी” एवं “डी” प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

- कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी यन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - 4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।
 - 4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
 - 4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण पत्र।

16. आरक्षण -

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- <http://gad.mp.gov.in> को देखे।

(2) क्षैतिज आरक्षण -

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997

नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत श्वैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3)(अ) संविदा कर्मियों हेतु नियम (वेयर हाउसिंग एवं लोजिस्टिक्स कारपोरेशन, भोपाल एवं उर्जा विभाग के पदों को छोड़कर)

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य/जिलास्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा

का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।

- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- 3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 3.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 3.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 3.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 3.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।
- 3.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 3.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

- 3.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्तीमें प्रतिबंध से आवश्यक छुट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- (5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
- (घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा।

3(ब) संविदा कर्मियों हेतु नियम (केवल उर्जा विभाग के पोस्ट कोड 77,79,81,83,85,87 पदों के लिये)

संविदा कर्मियों हेतु विद्युत् कंपनियों में सीधी भर्ती के अवसर :-

कंपनी की संगठनात्मक संरचना में नियमित के साथ ही संविदा के पद स्वीकृत हैं। संविदा के स्वीकृत पदों पर कंपनी द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करने के उपरांत संविदा कर्मियों का चयन किया गया है। यह संविदा कर्मिक विद्युत् कंपनियों में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर चयन हेतु, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने पर, निम्नानुसार पात्र रहेगे:

- 9.1 संविदा कर्मियों को, निर्धारित अधिकतम आयु में, कंपनियों में की गई संविदा सेवा अवधि के बराबर (अ) पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मिक को अधिकतम 7 वर्ष (एक (1)

वर्ष की पूर्ण संविदा सेवा हेतु 1 वर्ष की छूट के आधार पर), (ब) दिनांक 1.1.2018 के बाद अनुबंधित संविदा कार्मिक को अधिकतम 5 वर्ष (एक (1) वर्ष की पूर्ण संविदा सेवा हेतु 1 वर्ष की छूट के आधार पर) की छूट देते हुए, सीधी भर्ती के समय, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

- 9.2 विद्युत् कंपनियों में कार्यरत पात्र संविदा कार्मिक किसी भी अन्य विद्युत् कंपनी के नियमित पदों की सीधी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे।
- 9.3 वर्तमान में कार्यरत अथवा इस नीति के लागू होने के उपरांत संविदा के पद पर चयनित ऐसे संविदा कार्मिक, जिन्होंने विद्युत् कंपनियों में न्यूनतम 4 वर्ष की विभागीय संविदा अवधि पूर्ण की हो एवं कंपनी में सीधी भर्ती के नियमित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों, सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (प्रतियोगी परीक्षा) में भाग ले सकेंगे।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप-4 में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।

19. परीक्षा केन्द्र -

परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पी.ई.बी. के माप दण्डों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा।

20. निरर्हता -

- (1) **पी.ई.बी. (मण्डल)** अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। **पी.ई.बी. (मण्डल)** ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक

न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

(1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार
- (क) भारत का नागरिक हो ।
- (ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।
- (ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

26. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना । अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम,2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार वे समस्त उपबंध जो, इन नियमों में जोड़े गये है, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किये गए हैं, संशोधित किये जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते, इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे ।

अतएव व्यापम के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान तकनीकी शिक्षा विभाग

अपने बजट में नवीन मद सृजित कर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को फीस की प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान का प्रस्ताव विभागीय बजट में समाविष्ट करेंगे।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितिय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय वेतनमान परीविक्षा अवधि समाप्ती उपरांत देय होगा।

अध्याय - 02
विभागवार रिक्त पदों का विवरण

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है	पोस्ट	भर्ती का	पद	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कुल	पद की स्थिति
	कोड	प्रकार		अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिव		
1. मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	01	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	03	01	00	00	01	05	अकार्यपालिक
2. म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लोजिस्टिक्स कारपोरेशन, भोपाल (म.प्र.)	02	सीधी भर्ती	उपयंत्री	00	00	01	00	00	01	कार्यपालिक
	03	सीधी भर्ती	उपयंत्री 20% संविदा कर्मियों के लिए	03	00	01	01	01	06	कार्यपालिक
	04	संविदा	उपयंत्री	05	02	02	01	05	15	कार्यपालिक
3. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल (म.प्र.)	05	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	15	10	03	25	32	85	कार्यपालिक
	06	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	02	01	02	01	04	10	कार्यपालिक
4. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन, बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)	07	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	70	08	31	60	39	208	कार्यपालिक
	08	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल) 20% संविदा कर्मियों के लिए	17	02	08	15	10	52	कार्यपालिक
	09	सीधी भर्ती	उपयंत्री (वि/या)	18	02	20	22	28	90	कार्यपालिक
	10	सीधी भर्ती	उपयंत्री (वि/या) 20% संविदा कर्मियों के लिए	04	01	05	06	07	23	कार्यपालिक
5. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल	11	संविदा	उप प्रबंधक (उपयंत्री सिविल)	21	06	11	14	19	71	कार्यपालिक
6. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल	12	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	127	46	75	94	127	469	कार्यपालिक
	13	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल) 20% संविदा कर्मियों के लिए	32	11	19	23	32	117	कार्यपालिक
	14	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी)	35	12	20	26	35	128	कार्यपालिक
	15	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) 20% संविदा कर्मियों के लिए	09	03	05	06	09	32	कार्यपालिक
7. कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं बल प्रमुख सतपुड़ा भवन भोपाल	16	सीधी भर्ती	मानचित्रकार	03	01	03	00	03	10	कार्यपालिक
8. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल	17	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	00	00	60	56	06	122	कार्यपालिक
	18	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल) 20% संविदा कर्मियों के लिए	00	00	15	14	02	31	कार्यपालिक
	19	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स	32	04	04	04	03	47	कार्यपालिक
	20	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स 20% संविदा कर्मियों के लिए	08	01	01	01	01	12	कार्यपालिक
9. प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल	21	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	120	44	71	88	119	442	कार्यपालिक
	22	सीधी भर्ती	उपयंत्री 20% संविदा कर्मियों के लिए	30	11	18	22	29	110	कार्यपालिक
10. मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल	23	सीधी भर्ती	सहायक प्रबंधक मुद्रण	01	00	00	01	01	03	कार्यपालिक
	24	सीधी भर्ती	सहायक प्रबंधक कागज	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
योग				556	166	375	480	513	2090	

11. संचालक संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	25	सीधी भर्ती	उपयंत्री सिविल	00	00	14	37	37	88	कार्यपालिक
12. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल	26	सीधी भर्ती	उपयंत्री सिविल	05	01	01	00	02	09	कार्यपालिक
	27	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	28	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	29	सीधी भर्ती	उपयंत्री सहायक भवन अधिकारी	02	00	00	00	02	04	कार्यपालिक
	30	सीधी भर्ती	समयपाल	27	07	06	02	12	54	अकार्यपालिक
	31	सीधी भर्ती	समयपाल 20% संविदा कर्मियों के लिये	08	01	02	00	03	14	अकार्यपालिक
14. नगर पालिका निगम देवास (म.प्र.)	32	सीधी भर्ती	उपयंत्री	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	33	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	01	01	01	01	00	04	कार्यपालिक
	34	सीधी भर्ती	उपयंत्री (एम)	00	00	01	00	00	01	कार्यपालिक
	35	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल) सहायक भवन अधिकारी	00	00	00	00	01	01	कार्यपालिक
15. नगर पालिका निगम सिंगरौली म. प्र.	36	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	01	01	00	03	00	05	कार्यपालिक
	37	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	38	सीधी भर्ती	समयपाल	01	00	01	01	01	04	अकार्यपालिक
16. नगर पालिका निगम रीवा (म.प्र.)	39	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	00	00	00	00	02	02	कार्यपालिक
	40	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	00	01	00	00	01	02	कार्यपालिक
17. नगर पालिक निगम सागर (म.प्र.)	41	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	01	00	00	00	01	02	कार्यपालिक
	42	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	43	सीधी भर्ती	उपयंत्री(मैकेनिकल)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
18. नगर पालिक निगम बुराहनपुर (म.प्र.)	44	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	02	01	01	02	02	08	कार्यपालिक
	45	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	00	00	00	01	01	02	कार्यपालिक
	46	सीधी भर्ती	उपयंत्री(मैकेनिकल)	01	00	00	01	01	03	कार्यपालिक
	47	सीधी भर्ती	समयपाल	00	01	00	02	01	04	अकार्यपालिक
19. नगर पालिक निगम सतना (म.प्र.)	48	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	03	00	01	01	02	07	कार्यपालिक
	49	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	00	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
	50	सीधी भर्ती	उपयंत्री(मैकेनिकल)	01	01	00	01	00	03	कार्यपालिक
20. नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	51	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	00	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
	52	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	00	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
	53	सीधी भर्ती	उपयंत्री(मैकेनिकल)	01	00	00	00	01	02	कार्यपालिक
21. नगर पालिका निगम कटनी (म.प्र.)	54	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	00	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
22. नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)	55	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	00	03	04	01	04	12	कार्यपालिक
23. नगर पालिक निगम जबलपुर(म.प्र.)	56	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	08	04	02	00	11	25	कार्यपालिक
	57	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	04	01	01	01	00	07	कार्यपालिक
	58	सीधी भर्ती	समयपाल	07	04	05	06	06	28	
24. नगर पालिका निगम ग्वालियर (म.प्र.)	59	सीधी भर्ती	उपयंत्री (जलापूर्ति एवं सीवरेज विभाग)	03	01	00	00	00	04	कार्यपालिक
	60	सीधी भर्ती	उपयंत्री (जनकार्य एवं उद्यान विभाग)	03	04	01	01	06	15	कार्यपालिक
	61	सीधी भर्ती	उपयंत्री (एम) (विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	62	सीधी भर्ती	सहायक भवन अधिकारी (उपयंत्री सिविल)	01	00	01	00	01	03	कार्यपालिक
योग				87	32	42	65	98	324	

25. नगर पालिका निगम मुरैना (म.प्र.)	63	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	02	01	02	00	02	07	कार्यपालिक
	64	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	01	00	00	00	01	02	कार्यपालिक
26. नगर पालिका निगम इन्दौर (म.प्र.)	65	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	05	02	02	01	04	14	कार्यपालिक
	66	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
	67	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	01	00	00	00	00	01	कार्यपालिक
27. नगर पालिका निगम रतलाम (म.प्र.)	68	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	00	00	01	01	00	02	कार्यपालिक
	69	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	00	00	00	00	01	01	कार्यपालिक
	70	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	00	01	00	00	00	01	कार्यपालिक
	71	सीधी भर्ती	समयपाल	02	01	01	03	02	09	अकार्यपालिक
28. नगर पालिका निगम खण्डवा (म.प्र.)	72	सीधी भर्ती	उपयंत्री (सिविल)	01	01	00	00	00	02	कार्यपालिक
	73	सीधी भर्ती	उपयंत्री (मैकेनिकल)	00	00	00	00	01	01	कार्यपालिक
29. मुख्य अभियंता (विद्युत एवं मुख्य विद्युत निरिक्षक, भोपाल	74	सीधी भर्ती	उपयंत्री (विद्युत)	20	03	05	07	10	45	कार्यपालिक
30. मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल 1. एम.पी. पावर मैनेजमेंट लिमिटेड, जबलपुर	75	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	01	00	00	00	01	02	कार्यपालिक
2. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर	76	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण)	37	13	22	27	36	135	कार्यपालिक
	77	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण) विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%)	16	06	09	12	16	59	कार्यपालिक
	78	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	02	01	01	01	02	07	कार्यपालिक
	79	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%)	01	00	01	01	01	04	कार्यपालिक
3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर	80	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण)	26	09	15	19	25	94	कार्यपालिक
	81	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण) विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%)	11	04	06	08	11	40	कार्यपालिक
4. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, भोपाल	82	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण)	35	13	24	30	35	137	कार्यपालिक
	83	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (वितरण) विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%)	16	05	11	12	15	59	कार्यपालिक
	84	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	02	01	01	01	01	06	कार्यपालिक
	85	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%)	01	00	00	01	00	02	कार्यपालिक
5. म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर	86	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (पारेषण)	13	04	07	08	11	43	कार्यपालिक
	87	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (पारेषण) विभागीय संविदा उम्मीदवार (25%)	04	01	02	03	04	14	कार्यपालिक
योग				198	66	110	135	179	688	

6. म.प्र. जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर	88	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) मैकेनिकल	46	17	26	33	44	166	कार्यपालिक
	89	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रिकल	15	05	09	11	15	55	कार्यपालिक
	90	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रॉनिक्स	15	05	09	11	15	55	कार्यपालिक
	91	सीधी भर्ती	कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) सिविल	06	02	03	04	06	21	कार्यपालिक
31. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल	92	सीधी भर्ती	सहायक मानचित्रकार	10	00	04	05	04	23	अकार्यपालिक
	93	सीधी भर्ती	सहायक मानचित्रकार 20% संविदा कर्मियों के लिए	03	00	01	01	01	06	अकार्यपालिक
32. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	94	सीधी भर्ती	उपयंत्री	02	01	00	01	02	06	कार्यपालिक
	95	सीधी भर्ती	उपयंत्री 20% संविदा कर्मियों के लिए	00	00	00	00	01	01	कार्यपालिक
योग				97	30	52	66	88	333	

महायोग	Page No-23	556	166	375	480	513	2090
	Page No-24	87	32	42	65	98	324
	Page No-25	198	66	110	135	179	688
	Page No-26	97	30	52	66	88	333
	योग	938	294	579	746	878	3435

भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1. मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल(म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)के पत्र क्रमांक 716 भोपाल, दिनांक 29/01/2019, 9752 भोपाल, दिनांक 10/12/2019 पत्र क्रमांक 6250 भोपाल, दिनांक 16/07/2021 एवं पत्र क्रमांक 582 भोपाल, दिनांक 21/01/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 01 संविदा भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	04	01	00	00	05	

वेतनमान-43000/-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

2. म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लोजिस्टिक्स कारपोरेशन , भोपाल

म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लोजिस्टिक्स कारपोरेशन , भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 7859 भोपाल, दिनांक 28 /02/2019, पत्र क्रमांक 2753 भोपाल, दिनांक 02 /09/2021 एवं पत्र क्रमांक 2753 भोपाल, दिनांक 02 /09/2021 एवं पत्र क्रमांक 5836 भोपाल, दिनांक 28/01/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 02 सीधी भर्ती - उपयंत्री - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1.सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि पत्र (डिप्लोमा) / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियर में उपाधि |

पोस्ट कोड- 03 सीधी भर्ती - उपयंत्री - कुल 06 पद) (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत निगम के संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	05	01	00	00	06	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1.सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि पत्र (डिप्लोमा) / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियर में उपाधि |

नोट:- मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन में संविदा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति नीति निर्देश निम्नानुसार होंगे :-

- 3.1 मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- 3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए।
- 3.4 मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 3.5 मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन संविदा कर्मी ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 3.6 अगर किसी मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधिकी गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 3.7 मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के अतिरिक्त किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन नहीं कर सकेगा।
- 3.8 नियमित पद पर नियुक्ति होने पर उन्हे पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 3.10 संविदा कर्मी एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 04 संविदा - उपयंत्री - कुल 15 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	00	00	05	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	00	00	05	
	योग	09	06	00	00	15	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1.सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय उपाधि पत्र (डिप्लोमा) / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियर में उपाधि |

3. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल (म.प्र.)

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रधान कार्यालय, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1022 भोपाल, दिनांक 26/09/2019 एवं पत्र क्रमांक 654 भोपाल, दिनांक 06/09/2021 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 05 सीधी भर्ती -उपयंत्रि (सिविल) - कुल 85 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	05	00	00	15	दिव्यांगों की कुल 08 रिक्तियों में से 02 VH 02 EH 02 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	07	03	00	00	10	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	00	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	17	08	00	00	25	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	21	11	00	00	32	
	योग	57	28	00	00	85	

वेतनमान-32800 - 103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा

नोट:- म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल में भूतपूर्व सैनिक के लिए पद आरक्षित नहीं है ।

संविदा कर्मियों के लिये 20% आरक्षित रखे जाने का प्रावधान नहीं है ।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 06 सीधी भर्ती -उपयंत्रि (विधुत) -कुल 10 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	
	योग	08	02	00	00	10	

वेतनमान-32800 - 103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधुत इंजिनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा

नोट:- म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल में भूतपूर्व सैनिक के लिए पद आरक्षित नहीं है ।

संविदा कर्मियों के लिये 20% आरक्षित रखे जाने का प्रावधान नहीं है ।

4. कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन, बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वस्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन, बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 6721 भोपाल, दिनांक 09/08/2021 एवं 1152/स्था/अराज//प्र.अ./लो.स्वा.यां. /वि./2022 दिनांक 11/02/22 एवं 1204/स्था/अराज//प्र.अ./लो.स्वा.यां. /वि./2022 दिनांक 14/02/22 एवं 1626 /स्था/अराज//प्र.अ./लो.स्वा.यां. /वि./2022 दिनांक 28/02/22 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 07 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 208 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	61	00	09	70	दिव्यांगों की कुल 12 रिक्तियों में से 00 VH 06 EH 06 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	05	02	01	00	08	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	27	00	04	31	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	36	17	05	02	60	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	11	03	02	39	
	योग	64	118	09	17	208	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजिनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा

पोस्ट कोड- 08 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 52 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	17	00	00	17	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 02 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	08	00	00	08	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	05	00	00	15	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	00	00	10	
	योग	18	34	00	00	52	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजिनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं जिस श्रेणी हेतु आवेदित है, पर 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। (जिला स्तर/राज्य स्तर के सक्षम अधिकारीका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

पोस्ट कोड- 09 सीधी भर्ती -उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) - कुल 90 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	16	00	02	18	दिव्यांगों की कुल 05 रिक्तियों में से 00 VH 02 EH 03 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	12	06	01	01	20	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	06	02	01	22	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	08	02	01	28	
	योग	43	37	05	05	90	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजिनियर में ३ वर्षीय डिप्लोमा

पोस्ट कोड- 10 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) - कुल 23 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	04	00	00	04	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	00	00	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	02	00	00	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	00	00	07	
	योग	13	10	00	00	23	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजिनियर में ३ वर्षीय डिप्लोमा एवं जिस श्रेणी हेतु आवेदित है , पर 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । (जिला स्तर/राज्य स्तर के सक्षम अधिकारीका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।)

5. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित , भोपाल (म.प्र.)

प्रबंध संचालक म.प्र.जल निगम मर्यादित, “घ” विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन भोपाल 1246/स्था./म.प्र.ज.नि. मर्या./2022 भोपाल, दिनांक 17/02/22 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 11 संविदा भर्ती - उप प्रबंधक (उपयंत्री सिविल) - कुल 71 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	06	02	01	21	दिव्यांगों की कुल 04 रिक्तियों में से 00 VH 03 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्लू.एस.	04	02	00	00	06	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	04	01	00	11	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	04	02	00	14	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	05	01	01	19	
	योग	42	21	06	02	71	

वेतनमान-35000/- प्रतिमाह + सी पी आई

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (सिविल)

6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.) के पत्र 3322852/सीधी भर्ती/2020/211 भोपाल दिनांक 17/02/22 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 12 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 469 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	78	38	08	03	127	दिव्यांगों की कुल 28 रिक्तियों में से 07 VH 07 EH 07 LD एवं 07 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	28	14	03	01	46	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	45	23	05	02	75	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	58	28	05	03	94	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	78	38	08	03	127	
	योग	287	141	29	12	469	

वेतनमान-32800-103600 लेवल-8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. म. प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण

पोस्ट कोड- 13 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 117 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	19	10	02	01	32	दिव्यांगों की कुल 07 रिक्तियों में से 01 VH 02 EH 02 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	07	03	01	00	11	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	12	05	01	01	19	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	07	01	01	23	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	19	10	02	01	32	
	योग	71	35	07	04	117	

वेतनमान-32800-103600 लेवल-8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. म. प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण

पोस्ट कोड- 14 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) - कुल 128 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	11	02	01	35	दिव्यांगों की कुल 08 रिक्तियों में से 02 VH 02 EH 02 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	08	03	01	00	12	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	12	06	01	01	20	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	08	01	01	26	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	21	11	02	01	35	
	योग	78	39	07	04	128	

वेतनमान- वेतनमान-32800-103600 लेवल-8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. म. प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण

पोस्ट कोड- 15 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) - कुल 32 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	02	01	00	09	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	00	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	00	00	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	00	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	02	01	00	09	
	योग	20	09	03	00	32	

वेतनमान- वेतनमान-32800-103600 लेवल-8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. म. प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/बोर्ड से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण

7. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)%

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.) पत्र क्रमांक प्रशा. II / क्षेत्र. स्था 4 /471 भोपाल, दिनांक 24/01/2022 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 16 सीधी भर्ती - मानचित्रकार - कुल 10 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	01	00	03	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	00	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	00	00	00	03	
	योग	09	00	01	00	10	

वेतनमान- 25300 – 80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण
2. 10 + 2 पद्धति से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3. जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्रारंभिक (एलीमेण्ट्री) ड्राइंग में इण्टर – मिडिएट प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थाओं से मानचित्रकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या सर्वे ऑफ इण्डिया हैदराबाद से फोटोग्राफी विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
4. मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि /मान्यता प्राप्त संस्था से आर्कटिकट या मानचित्रकार में डिप्लोमा

8. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल (म.प्र.)%

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल (म.प्र.) निर्माण भवन प्लॉट नं. 27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स, भोपाल का पत्र क्रमांक स्था. 303/79/2017/483, भोपाल, दिनांक 22/02/2022 एवं स्था./303/79/2017/565 भोपाल दिनांक 02/03/2022 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 17 सीधी भर्ती -उपयंत्रि (सिविल) - कुल 122 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 07 रिक्तियों में से 01 VH 02 EH 02 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	36	18	04	02	60	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	33	17	04	02	56	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	01	00	06	
	योग	72	37	09	04	122	

वेतनमान- 32800-103600 लेवल- 8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 18 सीधी भर्ती -उपयंत्रि (सिविल) - कुल 31 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	09	04	01	01	15	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	05	01	00	14	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	18	10	02	01	31	

वेतनमान- 32800-103600 लेवल- 8

शै न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 19 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स- कुल 47 पद

(कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	19	10	02	01	32	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	00	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	00	00	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	00	00	03	
	योग	30	14	02	01	47	

वेतनमान- 32800-103600 लेवल- 8

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 20 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स- कुल 12 पद

(कार्यपालिक) (20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	03	01	00	08	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	08	03	01	00	12	

वेतनमान- 32800-103600 लेवल- 8

शै न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

- मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत अथवा इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

9. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल (म.प्र.)%

कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. भोपाल (म.प्र.) बी विंग द्वितीय तलए विंध्याचल भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 1247/22/वि-3/ग्रायांसे/2022, भोपाल,दिनांक 23/02/2022 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 21 सीधी भर्ती -उपयंत्री (सिविल) - कुल 442 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	72	36	08	04	120	दिव्यांगों की कुल 27 रिक्तियों में से 00 VH 14 EH 13 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	26	14	03	01	44	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	43	21	05	02	71	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	53	26	06	03	88	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	72	35	08	04	119	
	योग	266	132	30	14	442	

वेतनमान-36200-114800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 03 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विषयमें
अथवा
- दो वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में ।

पोस्ट कोड- 22 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 110 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	18	09	02	01	30	दिव्यांगों की कुल 07 रिक्तियों में से 00 VH 04 EH 03 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	06	04	01	00	11	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	05	01	01	18	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	06	01	01	22	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	09	02	01	29	
	योग	66	33	07	04	110	

वेतनमान- 36200-114800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 03 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग विषयमें
अथवा
- दो वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में ।

10. कार्यालय मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल (म.प्र.)%

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) बी विंग द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 4758/पा.पु.नि./स्थापना/2022, भोपाल, दिनांक 24/02/2022 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 23 सीधी भर्ती -सहायक प्रबंधक मुद्रण- कुल 03 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. हाई स्कूल के पश्चात शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण टेक्नालॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव
अथवा
2. मुद्रण टेक्नालॉजी में शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी.टेक की स्नातक उपाधि।
अथवा
3. शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान स्नातक उपरांत शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण टेक्नालॉजी से पी.जी. डिप्लोमा एवं शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्य अनुभव।

पोस्ट कोड- 24 सीधी भर्ती - सहायक प्रबंधक कागज - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. हाई स्कूल के पश्चात शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से पेपर टेक्नालॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव
अथवा
2. पेपर टेक्नालॉजी में शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी.टेक की स्नातक उपाधि।
अथवा
3. शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान स्नातक उपरांत शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से पेपर टेक्नालॉजी से पी.जी. डिप्लोमा एवं शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्य अनुभव।

11. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. , भोपाल %

संचालक संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल पालिका भवन, 6 न. बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल का पत्र क्रमांक 3706/स्था.-01/2022, भोपाल, दिनांक 25/02/2022 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 25 सीधी भर्ती -उपयंत्रि (सिविल) - कुल 88 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 17 रिक्तियों में से 06 VH 03 EH 08 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	09	04	01	00	14	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	22	11	02	02	37	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	22	11	02	02	37	
	योग	53	26	05	04	88	

वेतनमान- 9300-34800+ 3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।

नोट:- नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल एवं सभी नगर पालिकाओं में 20% संविदा कर्मियों के लिये आरक्षित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

12. कार्यालय नगर पालिका निगम, भोपाल (म.प्र.)%

कार्यालय, नगर पालिका निगम, भोपाल (म.प्र.) आई.एस.बी. परीसर द्वितीय तल होशंगाबाद रोड भोपाल पत्र क्रमांक 33 सा.प्र.वि/22, भोपाल,दिनांक 22/01/2022 एवं 68 सा.प्र.वि/22, भोपाल,दिनांक 22/02/2022 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 26 सीधी भर्ती -उपयंत्री (सिविल) - कुल 09 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	00	05	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	01	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	05	03	01	00	09	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 27 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान- 32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 28 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान- 32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 29 सीधी भर्ती -उपयंत्री (सहायक भवन अधिकारी) - कुल 04 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	01	00	02	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	02	01	01	00	04	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

नोट:- विभाग के उपयंत्री पदों में 20 % संविदा कर्मियों के आरक्षण हेतु पृथक से कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ।

पोस्ट कोड- 30 सीधी भर्ती - समयपाल - कुल 54 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	14	09	04	00	27	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	05	02	00	00	07	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	00	00	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	00	00	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	05	00	00	12	
	योग	31	19	04	00	54	

वेतनमान-19500-62000

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजिनियरिंग ट्रेड में आई टी आई ।

पोस्ट कोड- 31 संविदा भर्ती - समयपाल - कुल 14 पद (अकार्यपालिक) (20 प्रतिशत संविदा कर्मियो हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	03	01	00	08	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	02	00	00	03	
	योग	07	06	01	00	14	

वेतनमान- 32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12 वी कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजिनियरिंग ट्रेड में आई टी आई ।

13. कार्यालय नगर पालिका निगम देवास (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका निगम देवास (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 5421 भोपाल, दिनांक 18/11/2021 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 32 सीधी भर्ती - उपयंत्री - कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	01	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	00	01	00	00	01	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 33 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल)- कुल 04 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	01	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	01	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	01	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	03	00	00	04	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 34 सीधी भर्ती - उपयंत्री (एम)- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 35 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल)सहायक भवन अधिकारी- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।

नोट:- नगर पालिका निगम में 20 प्रतिशत पद संविदा हेतु आरक्षित नहीं किये गये है ।

14. कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 5612/स्था./2022 भोपाल,
दिनांक 28/02/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 36 सीधी भर्ती - उपयंत्री - कुल 05 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	04	01	00	00	05	

वेतनमान-9300-34800 + 3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 37 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत)- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 + 3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 38 सीधी भर्ती - समयपाल- कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	तिरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	04	00	00	00	04	

वेतनमान-19500-62000(लेवल-4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई. ।

15. कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1027/स्था./न.पा.नि./2022 भोपाल, दिनांक 23/02/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-
आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 39 सीधी भर्ती - उपयंत्री - कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	01	01	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 + 3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 40 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल)- कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 + 3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।

16. **कार्यालय नगर पालिका निगम, सागर (म.प्र.)%**

कार्यालय, नगर पालिका निगम, सागर (म.प्र.) पत्र क्रमांक 1076 भोपाल, दिनांक 16/12/2021 स्था./न.नि./2022/1446 सागर दिनांक 14/2/22 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 41 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-32800 – 103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 42 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800 – 103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 43 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	तिरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800 – 103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

17. **कार्यालय नगर पालिका निगम, बुरहानपुर(म.प्र.)%**

कार्यालय, नगर पालिका निगम, बुरहानपुर (म.प्र.) पत्र क्रमांक स्थापना शा./2022/899
बुरहानपुर दिनांक 25/2/22 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 44 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 08 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	00	00	02	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	00	00	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	00	02	
	योग	08	00	00	00	08	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 45 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 2 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 46 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 03 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 47 सीधी भर्ती - समयपाल कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	00	00	00	02	
4.	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	04	00	00	00	04	

वेतनमान-5200-20200 +1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई.।

18. **कार्यालय नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)%**

कार्यालय, नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.) पत्र क्रमांक 748/स्था./न.पा.नि./22 सतना दिनांक 28/2/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 48 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 7 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	03	00	00	03	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	03	04	00	00	07	

वेतनमान-32800 – 103600 (लेवल-8)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 49 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 1 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800 – 103600 (लेवल-8)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 50 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 2 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-32800 – 103600 (लेवल-8)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

19. **कार्यालय नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**

कार्यालय, नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पत्र क्रमांक 908/स्था.-1/न.पा.नि.प्र./2022 छिन्दवाड़ा दिनांक 28/2/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 51 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 52 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 53 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

20. कार्यालय नगर पालिक निगम, कटनी (म.प्र.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कटनी (म.प्र.) पत्र क्रमांक 594 भोपाल, दिनांक 16/12/2021 एवं 1047ए/मु.स्था./22 कटनी दिनांक 26/02/22के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 54 सीधी भर्ती - उपयंत्री(मैकेनिकल)- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

21. कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन (म.प्र.)%

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन (म.प्र.) पत्र क्रमांक स्थापना/2022/134 उज्जैन दिनांक 27/02/22 एवं स्थापना/2022/233 उज्जैन दिनांक 03/03/2022 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 55 सीधी भर्ती - उपयंत्री(सिविल)- कुल 12 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	02	01	00	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	00	00	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	02	00	00	04	
	योग	09	03	00	00	12	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

22. कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)%

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.) पत्र क्रमांक स्थापना/2022/1212
जबलपुर दिनांक 25/02/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 56 सीधी भर्ती - उपयंत्री(सिविल)- कुल 25 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	02	01	08	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	04	00	00	11	
	योग	15	07	02	01	25	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 57 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 07 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	00	00	04	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	01	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	05	02	00	00	07	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 58 सीधी भर्ती - समयपाल कुल 28 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	05	00	01	07	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	02	01	00	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	00	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	03	01	00	06	
	योग	11	13	03	01	28	

वेतनमान-19500-62000

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आइ.टी.आई. ।

23. कार्यालय नगर पालिका निगम, ग्वालियर (म.प्र.)%&

कार्यालय, नगर पालिका निगम, ग्वालियर (म.प्र.) पत्र क्रमांक 38 ग्वालियर, दिनांक 21/01/2022 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 59 सीधी भर्ती - उपयंत्री (जलापूर्ति एवं सीवरेज विभाग) - कुल 04 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	03	01	00	00	04	

वेतनमान- 9300 – 34800+3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 60 सीधी भर्ती -उपयंत्री (जनकार्य एवं उद्यान विभाग) - कुल 15 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	00	03	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 VH 00 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	01	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	03	01	00	06	
	योग	07	06	02	00	15	

वेतनमान-9300-34800+3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 61 सीधी भर्ती - उपयंत्री (एम) (यांत्रिकी विभाग)- कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800+3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 62 सीधी भर्ती -सहायक भवन अधिकारी (उपयंत्रि सिविल) - कुल 03 पद (कार्यपालिक)
(योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान-9300-34800+3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग मेंतीन वर्षीय डिप्लोमा ।

24. कार्यालय नगर पालिक निगम, मुरैना (म.प्र.)%

कार्यालय, नगर पालिका निगम, मुरैना (म.प्र.) पत्र क्रमांक स्था./2022/657 मुरैना, दिनांक 25/01/2022 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 63 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 07 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	01	01	00	02	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	03	03	01	00	07	

वेतनमान- 9300 – 34800+3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 64 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) - कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800+3200 ग्रेड पे

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

25. **कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)**

कार्यालय, नगर पालिका निगम, इन्दौर (म.प्र.) पत्र क्रमांक 5212 इन्दौर दिनांक 02/03/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 65 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 14 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	00	00	05	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्लू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	
	योग	09	05	00	00	14	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 66 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

पोस्ट कोड- 67 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

26. कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)&

कार्यालय, नगर पालिका निगम, रतलाम (म.प्र.) पत्र क्रमांक 306/स्था./2022 रतलाम दिनांक 28/02/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 68 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 69 सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड-70 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 71 सीधी भर्ती - समयपाल कुल 09 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	00	00	02	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	00	00	00	03	
4.	अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	02	00	00	00	02	
	योग	09	00	00	00	09	

वेतनमान-19500-62000 लेबल

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. 12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आई.टी.आई.।

27. **कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.)**

कार्यालय, नगर पालिका निगम, खण्डवा (म.प्र.) पत्र क्रमांक स्था./2022/383 खण्डवा दिनांक 25/02/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 72 सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 73 सीधी भर्ती - उपयंत्री (मैकेनिकल) कुल 01 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-9300-34800 +3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।

28. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, (म.प्र.)%

कार्यालय, मुख्य अभियंता((विद्युत सुरक्षा)एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (म.प्र.) क-ब्लाक तीसरी मंजिल सतपुडा भवन भोपाल .पत्र क्रमांक ई/ 848/मु.अ. भोपाल दिनांक 19/02/22 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 74 सीधी भर्ती - उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) कुल 45 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	02	08	04	20	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	00	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	00	00	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	00	00	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	00	00	10	
	योग	23	10	08	04	45	

वेतनमान-9300-34800 +4200/ 3200

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता व विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में या भारतीय विद्युत अधिनियम तथा नियमों के प्रशासन में 3 वर्ष का अनुभव या ऐसी अर्हताएं जो भारतीय विद्युत नियमों के अधीन हो ।
2. विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो तथा स्नातक की डिग्रीधारी उम्मीदवारों को अनुभव की शर्त से छूट दी जा सकेगी ।

29. मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल पत्र क्रमांक 2066/2022/तेरह/05
भोपाल दिनांक 07/03/22 के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 75 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

2. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 76 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 135 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (70%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	26	07	03	01	37	दिव्यांगों की कुल 08 रिक्तियों में से 03 VH 03 EH 00 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	10	02	01	00	13	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	16	04	02	00	22	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	19	05	02	01	27	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	26	06	03	01	36	
	योग	97	24	11	03	135	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

पोस्ट कोड- 77 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 59 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	13	03	00	00	16	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	05	01	00	00	06	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	07	02	00	00	09	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	02	00	00	12	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	03	00	00	16	
	योग	48	11	00	00	59	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

पोस्ट कोड- 78 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कुल 07 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (70%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	00	00	00	02	
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	00	00	00	02	
	योग	07	00	00	00	07	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 79 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कुल 04 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग निरंक
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	04	00	00	00	04	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 80 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 94 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (70%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	19	04	02	01	26	दिव्यांगों की कुल 06 रिक्तियों में से 01 VH 02 EH 02 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	06	02	01	00	09	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	03	01	00	15	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	04	02	00	19	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	04	04	01	25	
	योग	65	17	10	02	94	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकलस/इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 81 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 40 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	02	00	00	11	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	00	00	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	02	00	00	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	02	00	00	11	
	योग	32	08	00	00	40	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकलस/इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

4. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 82 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 137 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (70%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	26	05	03	01	35	निरं दिव्यांगों की कुल 08 रिक्तियों में से 02 VH 02 EH 02 LD एवं 02 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	10	02	01	00	13	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	18	04	02	00	24	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	22	05	02	01	30	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	26	05	03	01	35	
	योग	102	21	11	03	137	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

पोस्ट कोड- 83 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (वितरण) कुल 59 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	13	03	00	00	16	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	04	01	00	00	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	09	02	00	00	11	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	03	00	00	12	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	03	00	00	15	
	योग	47	12	00	00	59	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

आरक्षण तालिका

पोस्ट कोड- 84 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कुल 06 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (70%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	05	01	00	00	06	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 85 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कुल 02 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (30%) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	02	00	00	00	02	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

5. म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 86 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (पारेषण) कुल 43 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार (75%))

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	03	01	00	13	निरं दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	01	01	00	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	01	00	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	02	01	00	11	
	योग	30	09	04	00	43	

वेतनमान-32800-103600 (लेवल-8 सातवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

पोस्ट कोड- 87 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (पारेषण) कुल 14 पद (कार्यपालिक)

(विभागीय संविदा उम्मीदवार (25 %) हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	00	00	04	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	
	योग	11	03	00	00	14	

वेतनमान-32800-103600 (लेवल-8 सातवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य।

6. म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 88 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) मैकेनिकल कुल 166 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	28	13	03	02	46	दिव्यांगों की कुल 10 रिक्तियों में से 03 VH 03 EH 01 LD एवं 03 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	10	05	01	01	17	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	15	08	02	01	26	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	20	10	02	01	33	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27	13	03	01	44	
	योग	100	49	11	06	166	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 89 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रिकल कुल 55 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	04	01	01	15	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	04	01	00	00	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	01	00	09	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	04	01	00	11	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	04	01	01	15	
	योग	33	16	04	02	55	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रानिक्स इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 90 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रॉनिक्स कुल 55 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	04	01	01	15	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 00 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	03	02	00	00	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	01	00	09	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	03	01	00	11	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	04	01	01	15	
	योग	33	16	04	02	55	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

पोस्ट कोड- 91 सीधी भर्ती - कनिष्ठ अभियंता सिविल कुल 21 पद (कार्यपालिक)

(नवीन उम्मीदवार)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	01	00	06	दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	00	00	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	00	00	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	01	00	01	06	
	योग	13	06	01	01	21	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजि. में पूर्णकालिक डिप्लोमा उत्तीर्ण सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 65% मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उतरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मिकों हेतु 60% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अनिवार्य ।

30. **प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल (म.प्र.)**

प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा, भोपाल .पत्र क्रमांक के अंतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 92 सीधी भर्ती - सहायक मानचित्रकार कुल 23 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	03	01	00	10	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 00 EH 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	02	00	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	02	01	00	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	02	01	00	04	
	योग	11	09	03	00	23	

वेतनमान-25300-80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार, अधिदर्शक, उप-अधिकदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण

पोस्ट कोड- 93 सीधी भर्ती - सहायक मानचित्रकार कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियों हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	दिव्यांगों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	05	01	00	00	06	

वेतनमान-25300-80500

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता -

- राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार, अधिदर्शक, उप-अधिकदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण पत्र

31. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)%

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल पत्र क्रमांक 923 सा.प्र./प्रनिबो/2022 भोपाल दिनांक 24/03/2022 के अतर्गत के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

आरक्षणतालिका

पोस्ट कोड- 94 सीधी भर्ती - उपयंत्री कुल 06 पद (कार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	01	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	01	00	01	02	
	योग	02	03	00	01	06	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।

पोस्ट कोड- 95 सीधी भर्ती - उपयंत्री कुल 01 पद (कार्यपालिक)

(20 प्रतिशत संविदा कर्मियो हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान-32800-103600

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।

अध्याय-3

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदानकी जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतुकी सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- कोई भी विकल्प सही न हो।

- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नामोल्लाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नामोल्लाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नामोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखें)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पी.ई.बी. वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबन्ध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र.पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-01** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगें।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से
1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्ति स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **PEB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन

आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा “हाँ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हाँ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/ 2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।

(ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को

अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3.31 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

- 3.32 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है ।

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयवधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
09-04-2022	23-04-2022	15	09-04-2022	28-04-2022	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	06 जून 2022 से प्रारम्भ	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 12:00 तक	200
2	द्वितीय			दोपहर 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। एवं उक्त संबंध में पी.ई.बी. का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. नीमच
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना	11. खंडवा	12. सीधी
13. रीवा					

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबलड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं । अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित परिपत्र क्रमांक
74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्नपत्र का विवरण :

200 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	100
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य तार्किक योग्यता	
6	सामान्य विज्ञान	
7	सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	
8	संबंधित विषय (पदों की अर्हता अनुसार)	100
	कुल अंक	200

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vFlkok vaxct h ds y/kq gLrk{kj eW; ugha gkaks A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....
.....

प्रति,

.....
.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम:- समूह-3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022

- | | |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम :- | आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे |
| 2. पिता का नाम :- | |
| 3. माता का नाम :- | |
| 4. लिंग (पुरुष/महिला):- | |
| 5. जन्मतिथि :- | |
| 6. आदिम जनजाति का नाम :- | |
| 7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :- | |
| 8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :- | |
| 9. कार्यअनुभव का विवरण :- | |
| 10. विशेष/अन्य विवरण :- | |
| 11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:- | |
| 12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:- | |
| 13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :- | |

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....
दिनांक :-
निवास का पता :-
.....
मोबाईल/दूरभाष नं. :-